न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रकरण सं. 66/2017

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

1. खेमा
2. बिरदा
3. लाला पि0 जफरू कौम मेराम सा0 देवपुरा

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. ओमप्रकाश गुर्जर राजकीय अभिभाषक

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक 24.03.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खरवा के साबिक खसरा नं0 2622 रकबा 00-16-10 किस्म नाला मिसल बंदोबस्त सन् 1951-52 में सरकारी सिवायचक खाते में दर्ज था । सेटलमेंट के पश्चात खसरा संख्या 2622 के नये खसरा संख्या 4308 दर्ज हुए है। । उक्त साबिक खसरा संख्या के नवीन राजस्व ग्राम देवपुरा के खसरा 4308 रकबा 0-16-10 किस्म नाला वर्तमान जमाबंदी संवत 2072-75 में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हो गया । विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अप्रार्थीगण को खातेदार दिया जाना विधि संमत नही होने, सैटलमेंन्ट विभाग के द्वारा अन्य आदेशो से भूमि की किस्म परिवर्तन कर आवंटन/नियमन/खातेदारी प्रदान करना विधि संगत नही होने से निरस्त योग्य है। दिनांक 15.08.1947की पुर्वस्थिति बहाल करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स श्रीमान के क्षैत्राधिकार में है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी.बी. जनहित याचिका 1536/2003 में सवंत 1350 फसली के बाद किस्म परिवर्तन करना एवं धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी दिया जाना विधिसंगत नहीं माना। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 18.7.2003 की पालना में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी (Expert committee) की सिफारिशों के अनुसार उक्त विवादित आराजियात को "Original shape & Use" प्रदान करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त प्रश्नगत आराजी की खातेदारी एवं परिवर्तन किस्म निरस्त कर भूमि सरकारी खाते में किस्म नाला दर्ज करने हेतु प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में रेफरेन्स प्रार्थना प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आयें। तहसीलदार ब्यावर से वाछित रिपोर्ट/रिकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने सुनवाई भी अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं आने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खरवा के साबिक खसरा नं0 2622 रकबा 00–16–10 किस्म नाला मिसल बंदोबस्त सन् 1951–52 में सरकारी सिवायचक खाते में दर्ज था । सेटलमेंट के पश्चात खसरा संख्या 2622 के नये खसरा संख्या 4308 दर्ज हुए है। । उक्त साबिक खसरा संख्या के नवीन राजस्व ग्राम देवपुरा के खसरा 4308 रकबा 0–16–10 किस्म नाला वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–75 में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हो गया । राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी.बी. जनहित याचिका 1536/2003 में पारित निर्णय की पालना हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त प्रश्नगत आराजी की खातेदारी एवं परिवर्तन किस्म निरस्त कर भूमि सरकारी खाते में किस्म नाला दर्ज करने हेतु तहसीलदार मसूदा द्वारा न्यायालय हाजा में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया । दिनांक 15.8. 1947 से सम्बन्धित राजस्व अभिलेख को अभिलेख पर लेकर

हमने राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम खरवा के साबिक खसरा नं0 2622 रकबा 00–16–10 किस्म नाला मिसल बंदोबस्त सन् 1951–52 में सरकारी सिवायचक खाते में दर्ज था । सेटलमेंट के पश्चात खसरा संख्या 2622 के नये खसरा संख्या 4308 दर्ज हुए है। । उक्त साबिक खसरा संख्या के नवीन राजस्व ग्राम देवपुरा के खसरा 4308 रकबा 0–16–10 किस्म नाला वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–75 में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हो गया । चूकिं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की डी.बी. जनहित याचिका में पारित निर्णय की पालना हेतु गठित Expert committee की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1947 के समकालीन राजस्व रेकार्ड के मुताबिक उक्त विवादित आराजियात को Original shape & Use "नाला " प्रदान करने हेतु सिवाय चक घोषित किया जाना आवश्यक है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खरवा के साबिक खसरा नं0 2622 रकबा 00–16–10 किस्म नाला मिसल बंदोबस्त सन् 1951–52 में सरकारी सिवायचक खाते में दर्ज था । बन्दोबस्त विभाग द्वारा दोराने सेटलमेंट उक्त साबिक खसरा नम्बर 2622 के नये (वर्तमान) खसरा नम्बर 4308 मुर्तिब किये है तथा उक्त वर्तमान खसरा नम्बर 4308 की जमाबंदी में अप्रार्थीगण बतौर खातेदार/काश्तकार के रूप में दर्ज है परन्तु उक्त खसरा नम्बर 4308 की किस्म स्पष्ट रूप से नाला के रूप में दर्ज है इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि उक्त साबिक खसरा संख्या के नवीन राजस्व ग्राम देवपुरा के खसरा 4308 रकबा 0–16–10 किस्म नाला वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–75 में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हो गया । साथ ही विवादित भूमि को पुनः सिवायचक किस्म "नाला" दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण अन्तगर्त धारा, 82 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर